

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जनवरी 2011—माघ 8, शक 1932

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

### भाग ४ (क)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ग)

### अन्तिम नियम

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-20-32-2008-बी-ग्यारह.—मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) के साथ पठित धारा 15 तथा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-4 में दिनांक 1 अक्टूबर, 2010 को पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात् :-

### नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संयुक्त आवेदन-पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा) नियम, 2010 है.

(2) ये नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तब कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21, सन् 2008);
- (ख) “शीर्ष स्तरीय समिति” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित की गई शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति;
- (ग) “संयुक्त आवेदन प्ररूप” जो संक्षेप में सी. ए. एफ. के रूप में विनिर्दिष्ट है, से अभिप्रेत है, वह प्ररूप जिसमें अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित तथा इन नियमों से संलग्न प्ररूप “क” में विनिर्दिष्ट विभिन्न विभागों/ एजेन्सियों से संबंधित अनेक भाग/ प्ररूप समाविष्ट हों;
- (घ) “संबंधित एजेन्सी” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग के अधीन काम कर रहा कोई निगम/ मण्डल या ऐसी कोई सत्ता जो अधिनियम के अधीन निवेशकों के प्रस्ताव पर विभिन्न बाधा-निवारण करती हो/ सहमतियां देती हो;
- (ङ) “संबंधित विभाग” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का कोई विभाग जो अधिनियम के अधीन निवेशकों के प्रस्ताव पर विभिन्न बाधा-निवारण करता हो/सहमतियां देता हो;
- (च) “जिला स्तरीय समिति” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा धारा 9 के अधीन गठित की गई जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति;
- (छ) “स्थानीय निकाय” से अभिप्रेत है, यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956) के अधीन गठित कोई नगरपालिका निगम, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत या मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) के अधीन गठित कोई ग्राम पंचायत;
- (ज) “मध्यप्रदेश विद्युत् वितरण कंपनी” से अभिप्रेत है, विद्युत् के फुटकर प्रदाय की गतिविधियां चलाने के प्रयोजन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत मध्यप्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व की कम्पनी;
- (झ) “स्व प्रमाणन” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ‘क’ में दिए गए संयुक्त आवेदन प्ररूप में, स्वयं आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का प्रमाणीकरण;
- (ञ) “राज्य स्तरीय समिति” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित की गई राज्य स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति;
- (ट) “समय-सीमा” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न उपाबंध एक में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख से उतने कार्य दिवस, जिनके भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाना है;

(2) अन्य समस्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं.

3. **संयुक्त आवेदन-पत्र.**—(1) संयुक्त आवेदन-पत्र जो कि संक्षेप में सी.ए.एफ. के रूप में निर्दिष्ट है, ऐसे प्ररूपों का सेट है, जिसमें उन विभागों/एजेन्सियों से संबंधित विभिन्न प्ररूपों/ भागों का समावेश होगा, जिनको कि आवेदक अधिनियम के अधीन आवेदन करना चाहता है. सी.ए.एफ. का भाग 'क' परियोजना की सामान्य जानकारी से संबंधित है, जिसमें आवेदक से परियोजना की आधारभूत जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है. भाग 'ख' में वे प्ररूप हैं जो संबंधित विभागों/ अभिकरणों से आवश्यक बाधा-निवारण/ सहमतियां प्राप्त करने हेतु विहित किए गए हैं.

(2) सी.ए.एफ. का पूर्ण मुद्रित सेट अधिसूचित नोडल एजेन्सी के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा. नोडल एजेन्सी की वेबसाइट से भी सी.ए.एफ. डाउनलोड किया जा सकेगा.

(3) ऐसे आवेदन जो सी.ए.एफ. के भाग नहीं है, ऐसे बाधा-निवारण के लिए सुसंगत विधियों या नियमों के अधीन निर्वाधन संबंधित विभाग/ अभिकरण द्वारा विहित प्ररूप में सी.ए.एफ. के साथ प्रस्तुत किए जा सकेंगे. ये आवेदन सी.ए.एफ. के भाग के रूप में माने जाएंगे.

(4) जहां संबंधित विभाग/ अभिकरण द्वारा सहमति/ बाधा-निवारण/ अनुमोदन के लिए कोई आवेदन विहित नहीं है, वहां आवश्यक जानकारी तथा संलग्नकों के साथ सादे कागज पर ऐसे आवेदन भी सी.ए.एफ. के भाग के रूप में होंगे.

4. **फीस.**—(1) इस अधिनियम के अधीन सुविधाएं प्रदाय करने हेतु नोडल एजेन्सियां आवेदकों से सी.ए.एफ. के लिए आवेदन प्रभार ले सकती हैं. आवेदन फीस मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार विभाग की सम्यक सहमति से ट्रायफेक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी तथा समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी.

(2) आवेदन फीस के अतिरिक्त नोडल एजेन्सियां संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) के साथ संबंधित विभागों/ एजेन्सियों द्वारा लागू प्रभार्य, आवश्यक फीस पृथक् से प्राप्त करेंगी (सी.ए.एफ.).

5. **प्रक्रिया.**—(1) कोई निवेशक, जो परियोजना स्थापित करने का आशय रखता है या जो योजना है, उसकी वर्तमान इकाई में विस्तार, विविधता, आधुनिकीकरण करने की योजना बना रहा है और जो संबंधित विभागों/ एजेन्सियों से सहमति/ बाधा-निवारण प्राप्त करने की बांछा रखता है, वह संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) पर आवेदन कर सकेगा.

(2) सम्यक् रूप से भरे हुए संयुक्त आवेदन-पत्र तथा अतिरिक्त आवेदन-पत्र यदि कोई हों, यथास्थिति, जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत किए जाएंगे.

(3) प्रत्येक आवेदक सम्यक् रूप से तैयार किया गया संयुक्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय विहित प्ररूप में स्वप्रमाणन प्रस्तुत करेगा. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्वप्रमाणन विभागों/ एजेन्सियों द्वारा बाधा-निवारण/ अनुमोदन/ अनुज्ञा जारी करने और प्रदान करने के प्रयोजन के लिए स्वीकार्य होगा.

(4) नामनिर्दिष्ट नोडल एजेन्सी आवेदन की संवीक्षा करेगी तथा संबंधित विभागों/ एजेन्सियों को तीन कार्य दिवस के भीतर प्ररूप के सुसंगत भाग को अग्रेषित करेगी. नोडल एजेन्सी से आवेदन-पत्र के ऐसे भाग के प्राप्त होने पर उपाबंध-एक में यथाविनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर संबंधित विभाग/एजेन्सी उसका निराकरण करेंगे.

(5) संबंधित विभाग/एजेन्सी प्रत्येक आवेदन के संबंध में लिए गए विनिश्चय के संबंध में समय-समय पर, संबंधित नोडल एजेन्सी को सूचित करेगी. यदि कोई आवेदन संबंधित विभाग/एजेन्सी द्वारा निरस्त किया जाता है तो यह नोडल एजेन्सी को सूचित करते हुए, उचित कारणों के साथ उपाबंध एक में विनिर्दिष्ट विहित समय-सीमा के भीतर, आवेदक को संसूचित किया जाएगा.

(6) यदि आवेदक द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो संबंधित विभाग/एजेन्सी सात दिन के भीतर उसे पूर्ण करने हेतु आवेदक को सूचित करते हुए नोडल एजेन्सी को भी सूचित करेंगे. संबंधित विभाग/एजेन्सी आवेदक से अतिरिक्त आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने हेतु भी कह सकता है. बशर्ते ऐसी समस्त अतिरिक्त जानकारी, एक बार में ही देने के लिए कहा जाए.

(7) नामनिर्दिष्ट नोडल एजेन्सी समुचित समिति के समक्ष उन मामलों की जानकारी प्रस्तुत करेगी जिनका कि विहित समय-सीमा का अवसान होने पर, संबंधित विभाग/एजेन्सी ने विहित समय-सीमा के भीतर निराकरण नहीं किया है। समुचित समिति उपयुक्त विनिश्चय करेगी जो नोडल एजेन्सी द्वारा निवेशकों, संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को संसूचित किए जाएंगे। समिति विभागों/एजेन्सी को मामले के निराकरण में किए गए विलंब के लिए जिम्मेदारी भी नियत कर सकेगी तथा ऐसे विलंब के लिए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने की सिफारिश भी करेगी।

(8) यदि कोई निवेशक कोई विशिष्ट/ विशेष सुविधा चाहने को वांछा करता है तथा जो सी.ए.एफ. के अन्तर्गत नहीं आता है, संबंधित नोडल एजेन्सी को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा। नोडल एजेन्सी ऐसा प्रस्ताव संबंधित विभाग/एजेन्सी को तीन कार्य दिवस के भीतर अग्रेषित करेगी और पन्द्रह दिन में उनकी राय मांग सकेगी। नोडल एजेन्सी उपयुक्त सुविधाओं के लिए विभाग/एजेन्सी से प्राप्त राय के साथ संबंधित समिति के समक्ष ऐसा प्रस्ताव लाएगी। नोडल एजेन्सी समिति का अंतिम विनिश्चय आवेदक को संसूचित करेगी।

6. **मॉनीटरिंग.**—(1) नोडल एजेन्सी उस सम्पूर्ण प्रक्रिया की मॉनीटरिंग करेगी जिसके द्वारा संबंधित विभागों/एजेन्सियों द्वारा आवेदक को सहमति/ बाधा-निवारण प्रदान किए जा रहे हैं।

(2) चूंकि नोडल एजेन्सी आवेदक को सुविधा प्रदान करने हेतु एकल खिड़की बाधा-निवारण है। अतएव, उनके लिए आवश्यक है कि वे संबंधित विभागों/ एजेन्सियों द्वारा अपनायी गई पूरी प्रक्रिया को मॉनीटर करे, ताकि समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके तथा अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।

(3) आवेदक या संबंधित विभाग/एजेन्सी द्वारा कोई समस्या या कठिनाई का अनुभव करने की दशा में उसे नोडल एजेन्सी द्वारा उपयुक्त समिति के समक्ष लाया जाएगा।

7. **अपील.**—(1) जिला/राज्य स्तरीय समिति के विनिश्चय से व्यथित होने पर या असन्तुष्ट रहने पर आवेदक उससे उच्च समिति को विचारण के लिए अपील फाईल कर सकेगा। शीर्ष स्तरीय समिति के विनिश्चय से व्यथित आवेदक उसके विनिश्चय पर पुनर्विचार हेतु शीर्ष स्तरीय समिति को पुनः अनुरोध कर सकेगा। उससे उच्च स्तरीय समिति को अपील तथा शीर्ष स्तरीय समिति द्वारा उसके विनिश्चय पर पुनर्विचार हेतु अनुरोध विनिश्चय की सूचना के 30 दिन के भीतर किया जा सकेगा।

(2) शीर्ष स्तरीय समिति तथा राज्य स्तरीय समिति ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर सकेगी, जो उसे राज्य स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति द्वारा क्रमशः समुचित विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएं, यथास्थिति, अपील या पुनर्विचार के लिए विकल्प केवल एक बार ही उपलब्ध रहेगा।

8. **सामान्य.**—(1) प्रत्येक नोडल एजेन्सी इस अधिनियम के अधीन की सुविधाओं के लिए आवेदक के प्रस्ताव पर कार्यवाही करने हेतु एक अधिकारी को नाम से नामनिर्दिष्ट करेगी।

(2) आवेदक संबंधित विभागों/एजेन्सियों को, आवश्यक बाधा-निवारण/ सहमति प्राप्त करने हेतु सीधे आवेदन भी कर सकता है। ऐसे आवेदनों की प्राप्ति पर संबंधित विभाग/एजेन्सी इन नियमों के अधीन यथा विहित समय-सीमा के भीतर उनका निराकरण करेंगे।

(3) इन नियमों के निर्वचन से कोई विवाद उद्भूत होने की दशा में उसे शीर्ष स्तरीय समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा तथा समस्त संबंधितों पर बन्धनकारी होगा।

(4) समस्त संबंधित विभाग/एजेन्सी आवेदनों का समय से तथा प्रभावी निराकरण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।

(5) संयुक्त आवेदन-पत्र में, यदि आवश्यक हो, तो समय-समय पर, वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार विभाग, संशोधन करने/ या उपांतरण करने के लिए प्राधिकृत होगा।